कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी

पत्रांक :–1982 /पावर ग्रिड़/ दिनांक :– 1 /मार्च/2017

विषय :– पावर ग्रिड़ कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 द्वारा 765 के0वी0 द्विपरिपथ उरई अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक एन0आर0–तृतीय/टी0एल0सी0/उरई अलीगढ/एम0एन0पी0 /एन0ओ0सी0 /16–17/22 दिनांक 22.02.2017
एन0आर0–तृतीय/टी0एल0सी0/उरई अलीगढ/एम0एन0पी0/एन0ओ0सी0 /16–17/23 दिनांक 22.02.2017
एन0आर0–तृतीय/टी0एल0सी0/उरई अलीगढ/एम0एन0पी0 /एन0ओ0सी0 /24 दिनांक 28.02.2017

मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड़ कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 मैनपुरी।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र एवं संलग्न मानचित्र में निचली गंगा नहर पर कि0मी0 91 से 92 के मध्य ग्राम घोसा जिला फिरोजाबाद, कानपुर शाखा के कि0मी0 16 से 17 के मध्य ग्राम मिलावली जिला फिरोजाबाद एवं कानपुर शाखा के कि0मी0 39 से 40 के मध्य ग्राम सिरौलिया जिला मैनपुरी में ट्रांसमिशन लाइन की क्रासिंग की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पावर ग्रिड़ के नियमों/मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन लाइनों को इस प्रकार क्रास किया जाये कि नहर की पटरी/नहर पर कोई अवरोध की स्थिति न हो एवं दुर्घटना की स्थिति न उत्पन्न हो। टावरों को नहर की पटरी से पर्याप्त दूरी (नहर के मध्य से 300 फीट) से कम न रखा जाये। भविष्य में नहर को चौडा करने/पुर्नोद्धार इत्यादि होने पर ट्रांसमिशन लाइन की ऊँचाई व चौडाई को आपके स्तर से किया जाना होगा। जिस पर होने वाला व्यय भी आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
मैनपुरी प्रखण्ड, नि0गं0नहर
मैनपुरी

पत्रांक :– /पावर ग्रिड़/तदिनांक :– /मार्च/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य कानपुर।
2. सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उपखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी।

अधिशासी अभियन्ता
मैनपुरी प्रखण्ड, नि0गं0नहर
मैनपुरी

सत्यापित
(एस० एस० यादव)
मुख्य प्रबन्धक
पावरग्रिड, मैनपुरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
मैंनपुरी

पत्रांक 187/1A   दिनांक 30-03-17

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि0,
400/220 के0वी0 सब स्टेशन, 12 किमी0 माईल स्टोन,
मैनपुरी–भोगांव रोड, पो0 भोगांव, जिला मैनपुरी–205001

विषय: Construction of 765 KV D/C Orai-Aligarh transmission line Pkg-TE-08 (Part-III) associated with inter regional system strengthening scheme for WR-NR, Part-B- Regarding NOC for Overhead crossing of PWD Road by our 765 KV D/C Orai-Aligarh Transmission line.

संदर्भ : आपका पत्रांक NR-III/TLC/ORAI-ALG/MNP/NOC/27 Dated 02.03.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा शिकोहाबाद–मैनपुरी मार्ग के किमी0 32 व 33 के ग्राम दन्नाहार के पास गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाईन हेतु अनुमति चाही गयी है। 765के0वी0 डी0सी0 लाईन के लिये आप द्वारा उपलब्ध मानचित्र में vertical clearance 25.80 मी0 दर्शाया गया है, जोकि नॉर्मस के अनुसार 15.15 मीटर (न्यूनतम) से अधिक है अतः मान्य है।

अतः ट्रासमिशन लाईन मार्ग को कास करने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पावर ग्रिड के नियमों/मानकों को ध्यान में रखते हुये ट्रांसमिशन लाईन को मार्ग से कास किया जाये, जिससे मार्ग अथवा पटरी को किसी प्रकार की क्षति न हो तथा मार्ग पर कोई अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्य के दौरान सभी सुरक्षा के इंतजाम किये जायें, ताकि आवागमन बाधित न हो। किसी भी दशा में मार्ग की पूर्ण चौड़ाई में कोई मैटेरियल एकत्र न किया जाये।

30.3.17
(जे0के0 बांगा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 लो0नि0वि0,
मैनपुरी

पत्रांक /   दिनांक

प्रतिलिपिः(1) सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0, मैनपुरी को सूचनार्थ।
(2) अवर अभियन्ता (प्रावै0) निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0, मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3 लो0नि0वि0,
मैनपुरी

सत्यापित
(एस० एस० यादव)
मुख्य प्रबन्धक
पावरग्रिड, मैनपुरी

Anu/c.d.3/Jet/lett. - 53 -

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा

पत्रांक : 730 / 8C दिनांक : 30/3/17

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
400/220 के०वी० सब स्टेशन,
12 किमी० माइल स्टोन,
मैनपुरी-भौगांव रोड पोस्ट-भौगांव,
जिला - मैनपुरी

विषय : **Construction of 765 KV D/C Orai-Aligarh Transmission line Pkg-TE – 08 (part-III) associated with Inter regional System strengthening scheme for WR-NR, Part-B – Regarding NOC for Overhead crossing of PWD Tundla Etah Road Km.-44 to 45 by our 765 KV D/C Orai Aligarh Transmission line.**

संदर्भ : **आपका पत्रांक NR-III/TLC/ORAI-ALG/MNP/NOC/2017-18/14 Dt. 14.02.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग–31) किमी–44–45 में मार्ग पर पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति सहायक अभियन्ता(प्रथम) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा की संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेन्स 26.10 मीटर से अधिक ही रखा जाए।
2. मार्ग के किनारे राज्य मार्ग संख्या–31 की भूमि पर कोई टावर स्थापित न किया जाये।
3. पावर लाइन में कार्य के समय किसी प्रकार का वातावरण में अवरोध उत्पन्न न हो तथा यातायात की सुरक्षा का दायित्व पावर ग्रिड कार्पोरेशन का होगा।
4. पावर लाइन से किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कार्पोरेशन का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊँचाई 5.00 मीटर तक बड़ाई जाती है तो मार्ग के आवागमन में कोई व्यवधन उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शायी गयी मापों के अनुरूप ही कार्यस्थल पर कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघनं (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

30/03/17
(वहीद बख्श)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
एटा
30.3.17

पत्रांक : / दिनांक :

प्रतिलिपिः

1. सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता(प्राविधिक), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा को अभिलेखनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
एटा

सत्यापित
(एस० एस० यादव)
मुख्य प्रबन्धक
पावरग्रिड, मैनपुरी